राजस्व अपील सं. 26/2025 (2025/26)
27/2025 (2025/27)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम), जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री जवाहर चौधरी, आर.ए.एस.

राजस्व अपील सं. 26/2025
जीसीएमएस सं. 2025/26

अपीलांट्सः–

1. पेमाराम पुत्र विशनाराम
2. चनणाराम पुत्र विशनाराम
3. मोहनराम पुत्र विशनाराम
4. हीराराम पुत्र विशनाराम

सभी जातियान मेगवाल निवासीयान रामनगर, तहसील शेरगढ, जिला जोधपुर।

बनाम

रेस्पोंडेंट्सः–

1. ग्राम पंचायत शेरगढ, जिला जोधपुर।
2. अमोलकराम पुत्र सांगाराम
3. रमेश कुमार पुत्र सांगाराम
4. धारूराम परिहार पुत्र गंगाराम
5. श्रीमती लाछोदेवी पत्नी गंगाराम
6. श्रीमती पप्पू देवी पत्नी मालाराम

सभी जातियान मेगवाल निवासगण रामनगर, तहसील शेरगढ, जिला जोधपुर।

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम बविरूद्ध आदेश ग्राम पंचायत शेरगढ नामांतरकरण सं. 419 मौजा रामनगर द्वारा दिनांक 17.12.2024 को पारित किया गया।

राजस्व अपील सं. 27/2025
जीसीएमएस सं. 2025/27

अपीलांट्सः–

1. पेमाराम पुत्र विशनाराम
2. चनणाराम पुत्र विशनाराम
3. मोहनराम पुत्र विशनाराम
4. हीराराम पुत्र विशनाराम

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

सभी जातियान मेगवाल निवासीयान रामनगर, तहसील शेरगढ, जिला जोधपुर।

बनाम

रेस्पोंडेंट्स:–

1. तहसीलदार शेरगढ, जिला जोधपुर।
2. अमोलकराम पुत्र सांगाराम
3. रमेश कुमार पुत्र सांगाराम
4. धारूराम परिहार पुत्र गंगाराम
5. श्रीमती लाछोदेवी पत्नी गंगाराम
6. श्रीमती पप्पू देवी पत्नी मालाराम

सभी जातियान मेगवाल निवासगण रामनगर, तहसील शेरगढ, जिला जोधपुर।

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध आदेश तहसीलदार, शेरगढ द्वारा क्रमांक राजस्व/2024/320–22 दिनांक 21.03.2024 को पारित किया गया।

उपस्थितिः–

1. अधिवक्ता श्री रूघाराम चौधरी (अपीलांट्स की ओर से)
2. अधिवक्ता श्री सांगाराम चौधरी (प्रत्यर्थीगण सं. 02 से 06 तक की ओर से)

निर्णय दिनांक 11.02.2026

1. उक्त विवरण की दोनों अपीलों में समान पक्षकार, समान विवादास्पद तथ्य, समान अंतर्वलित विधिक प्रश्न अंतर्निहित होने से, इन्हे उभयपक्षों की सहमति से कंसोलिडेट करके, एक ही निर्णय से निर्णित किया जा रहा है, ताकि निर्णयों में एकरूपता रहे। निर्णय की मूल प्रति प्रत्येक पत्रावली में शामिल की जावे।
2. (A)<u>अपील सं. 27/2025 (2025/27) (पेमाराम बनाम तहसीलदार, शेरगढ)</u>– राजस्थान टिनेंसी एक्ट 1955 की धारा 225 के अंतर्गत तहसीलदार, शेरगढ द्वारा 1955 के एक्ट की धारा 55 के अंतर्गत आराजी समर्पण में पारित आदेश क्रमांक/राजस्व/2024/320–322 दिनांक 21.03.2024 को अपास्त करने हेतु दिनांक 15.01.2025 को पेश की है। उक्त आदेश की पालना में ग्राम रामनगर का नामांतरकरण सं. 419 दिनांक 17.12.2024 को स्वीकार किया गया है।

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

(B)अपील सं. 26/2025(2025/26) (पेमाराम बनाम ग्राम पंचायत शेरगढ)– यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अंतर्गत तहसीलदार, शेरगढ द्वारा ग्राम रामनगर के नामांतरकरण सं. 419 पर पारित आदेश दिनांक 17.12.2024 के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 15.01.2025 को प्रस्तुत की गई है।

3. प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर, प्रत्यर्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकॉर्ड तलब किया गया। प्रत्यर्थी सं. 2 से 6 तक की ओर से श्री सांगाराम चौधरी, अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया।

4. अपील मीमों में अंकित अभिवचनों अनुसार आक्षेपित आदेश ग्राम पंचायत शेरगढ द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.12.2024 के विरूद्ध पेश की गई है, परंतु वस्तुतः आक्षेपित आदेश तहसीलदार, शेरगढ द्वारा पारित किया गया है। प्रकरण के संक्षिप्त एवं सारवान तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थीगण ने सहायक कलक्टर, शेरगढ के समक्ष धारा 53, 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधि. 1955 के तहत ख.नं. 1094 रकबा 138–06 बीघा में श्रीमती जतनी पत्नी रूगा का 1/4 हिस्सा दिनांक 17.11.1978 को क्रय किया जाना बताकर, वाद पेश किया। रेस्पोंडेंट्स ने यह भी कथन किया कि उन्होने 1/4 हिस्से का हस्तांतरण दिनांक 03.02.1983 को अपीलांट्स को नहीं किया, परंतु अपीलांट्स ने 1/4 हिस्सा अपने नाम दर्ज करवा लिया। रेस्पोंडेंट्स का दावा दिनांक 05.05.2001 को एकपक्षीय स्वीकार किया गया।

अपीलांट्स द्वारा उक्त निर्णय/डिक्री दिनांक 05.05.2001 के विरूद्ध राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर के समक्ष प्रस्तुत अपील में पारित निर्णय दिनांक 24.05.2003 से, डिक्री व आदेश दिनांक 05.05.2001 को अपास्त कर दिया, जिसके विरूद्ध रेस्पोंडेंट्स ने राजस्व मण्डल, अजमेर में द्वितीय अपील पेश की, जो दिनांक 22.04.2022 को खारिज हो चुकी है। सहायक जिलाधीश ने दिनांक 26.07.2024 को रेस्पोंडेंट्स का वाद खारिज कर दिया। रेस्पोंडेंट्स को यह पूर्ण जानकारी थी कि सहायक कलक्टर द्वारा पारित निर्णय/डिक्री दिनांक 05.05.2011 निरस्त हो चुका है, फिर भी गलत इन्द्राजों के आधार पर, तहसीलदार, शेरगढ से समर्पण आदेश प्राप्त कर लिया। तहसीलदार के आदेश दिनांक 17.12.2024 के विरूद्ध यह अपील पेश की गई है, जो गैर कानूनी, एकपक्षीय, मनमाना, क्षेत्राधिकार विहिन है। यह समर्पण वाद विचाराधीन रहने के दौरान किया गया है। अवैध समर्पण आदेश के आधार पर दर्ज नामांतरकरण सं. 419 को अपास्त किया जावे। प्रत्यर्थीगण ने दिनांक 09.09.2024 को राजस्व अपील प्राधिकारी के

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

समक्ष अपील पेश की, जिसमें भूमि समर्पण का जिक्र नहीं किया है। अतः ग्राम रामनगर का नामांतरकरण खारिज किया जावे तथा समर्पण आदेश भी खारिज किया जावे।

5. उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

6. अपीलांट्स के विद्वान अधिवक्ता श्री रूघाराम चौधरी ने अपील मीमों में अंकित अभिवचनों को दोहराते हुए कथन किया कि ख.नं. 1094 में से 1/4 हिस्सा अपीलांट्स को दिनांक 03.02.1998 को दीपाराम, गंगाराम व सांगाराम ने ट्रांसफर किया, जिसका नामांतरकरण सं. 878 दर्ज किया गया। फिर भी दीपाराम, सांगाराम, गंगाराम ने दावा पेश किया, जो दिनांक 05.05.2001 को एक्स पार्टी डिक्री किया गया, जिसकी अपील राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर ने स्वीकार कर, प्रकरण रिमाण्ड किया गया, जिसके विरूद्ध राजस्व मण्डल में प्रस्तुत द्वितीय अपील दिनांक 22.04.2022 को खारिज हो चुकी है। इस दरम्यान एक्स पार्टी डिक्री के आधार पर, रेस्पोंडेंट्स ने अपने पक्ष में म्यूटेशन दर्ज करा लिया।

राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर से रिमाण्ड होकर प्रकरण का उपखण्ड अधिकारी, शेरगढ के समक्ष जाने पर, एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी पेश किया जाने पर, वह दिनांक 26.07.2024 को स्वीकार हुआ तथा दावा खारिज कर दिया गया। जिसके विरूद्ध राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर के समक्ष अपील पेश की गई, जिसे दिनांक 05.02.2025 को स्वीकार किया गया है तथा प्रकरण रिमाण्ड किया गया है। राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर के आदेश के विरूद्ध अपील राजस्व मण्डल में दिनांक 18.02.2025 से विचाराधीन है। इस प्रकार रेस्पोंडेंट्स का दावा खारिज हो चुका है, फिर भी सहायक कलक्टर की डिक्री दिनांक 05.05.2001 की आड में किये गये गलत इन्द्राजों के आधार पर समर्पण किया गया है, जिसका रेस्पोंडेंट्स को कोई अधिकार ही नहीं है। अतः अपील स्वीकार की जावे।

विद्वान अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि प्रत्यर्थीगण गलत रूप से रिकॉर्डेड खातेदार होने से उन्होने तहसीलदार, शेरगढ के समक्ष रास्ते के लिए भूमि समर्पित करने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया, जिसे स्वीकार करके, समर्पित भूमि को रास्ता के रूप में दिनांक 21.03.2024 को दर्ज कर ली है, जिसके विरूद्ध यह अपील पेश की है। समर्पण में निर्धारित कानूनी प्रावधानों की पालना नहीं की गई है। जिस डिक्री के आधार पर रेस्पोंडेंट्स का नाम रिकॉर्ड में दर्ज किया गया था, वह डिक्री/निर्णय निरस्त हो चुका था, फिर भी तहसीलदार ने उक्त तथ्य की जांच किये बिना ही आक्षेपित समर्पण आदेश पारित किया है, जो क्षेत्राधिकार से परे है। रास्ते की भूमि

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

अपीलांट्स की क्रय की हुई भूमि है। पंजीकृत दस्तावेजों को निरस्त करवाने की कोई कार्यवाही रेस्पोंडेंट्स ने नहीं की है। अतः आदेश दिनांक 21.03.2024 को निरस्त किया जावे।

7. प्रत्यर्थीगण के विद्वान अभिभाषकगण श्री सांगाराम चौधरी ने, अपीलांट्स के तर्कों का खण्डन करते हुए तर्क दिया कि प्रकरण में दावा व अपीले दायर हुई है। ख.नं. 1094/3 रकबा 4.8562 हैक्टर तथा ख.नं. 1094/4 रकबा .07365 हैक्टर रेस्पोंडेंट्स को बक्शीश में मिली है। ख.नं. 1094/3 में से 0.1457 हैक्टर तथा ख.नं. 1094/4 में से 0.0890 हैक्टर भूमि रास्ते के लिए प्रत्यर्थीगण ने समर्पित की है। अपीलांट्स ने भी ख.नं. 1324/1094 में से भूमि रास्ता के लिए समर्पित की है, जिसका ख.नं. 1322/1094 है। भूमि का समर्पण करने के लिए नोटिस दिया जाना जरूरी नहीं है। धारा 55 के अंतर्गत पारित समर्पण आदेश के विरूद्ध राजस्थान टिनेंसी एक्ट में कोई प्रावधान ही नहीं है। समर्पण आदेश सही है। अपील खारिज की जावे।

8. प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता की उपरोक्त बहस का प्रत्युत्तर देते हुए, अपीलांट्स के विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया कि रेस्पोंडेंट्स ने आराजी नंबर के बट्टा नंबर बताए है, ये बट्टा कैसे बने? प्रकरण में राजस्व मण्डल में अपील विचाराधीन है। हकीकत में खसरा नंबरान के बट्टा नंबर अपास्त की गई डिक्री दिनांक 05.05.2001 से बने है, जिसे निरस्त किया जा चुका है, जो अब अस्तित्व में ही नहीं है, तो उनमें से किया गया समर्पण भी अवैध व शून्य है। अतः समर्पण आदेश निरस्त किया जावे तथा उसके आधार पर भरा गया अवैध नामांतरकरण सं. 419 को भी अपास्त किया जावे।

9. हमने पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावलियों का गहनता से अध्ययन कर, उनका अवलोकन किया। उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषक गणों द्वारा दौराने बहस प्रस्तुत कथनों/तर्कों पर मनन किया।

10. अपीलांट्स ने उक्त दोनों अपीले प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षम्य करने हेतु म्याद अधि. 1963 की धारा 5 के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया। प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों एवं प्रकरण की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, ये प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाते है तथा अपीले पेश करने में हुई देरी को कन्डोन किया जाता है एवं अपीले अंदर म्याद प्रस्तुत होना सुमार की जाती है तथा कन्सोलिडेटेड अपीलों का मेरिट पर निस्तारण किया जाना यह न्यायालय न्यायोचित मानता है।

11. (a)अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखानुसार, दिनांक 14.03.2024 की जमाबंदी खाता सं. 193 ग्राम रामनगर संवत् 2075–2078 में खसरा नंबर 1094/4

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

रकबा 0.7365 हैक्टर तथा खाता सं. 194 ख.नं. 1094/3 रकबा 4.8562 हैक्टर भूमि प्रत्यर्थीगण 2 से 6 तक के नाम खातेदारी में दर्ज थी तथा प्रत्यर्थीगण ने एक आवेदन पत्र तहसीलदार, शेरगढ को पेश कर, उक्त दोनों खसरो में से क्रमशः 0.0890 हैक्टर एवं 0.1457 हैक्टर भूमि राज्य सरकार को सार्वजनिक रास्ता प्रयोजनार्थ समर्पित करने का प्रार्थना पत्र पेश किया तथा तहसीलदार, शेरगढ के आदेश क्रमांक राजस्व/2024/319 दिनांक 21.03.2024 से उक्त विवरण की भूमि का समर्पण स्वीकार किया है, जिसकी पालना में नामांतरकरण सं. 419 दिनांक 17.12.2024 को स्वीकार किया गया तथा ख.नं. 1317/1094 व 1320/1094 की 0.2347 हैक्टर भूमि राजकीय सिवायचक दर्ज की गई है तथा शेष भूमि प्रत्यर्थीगण सं. 2 से 6 तक के नाम खातेदारी में रखी गई है।

(b) अपीलांट्स द्वारा अपील मीमों में विभिन्न दावों/अपीलों में विभिन्न तिथियों को सहायक कलक्टर/राजस्व अपील प्राधिकारी/राजस्व मण्डल, राजस्थान द्वारा पारित डिक्री/निर्णयों का उल्लेख किया गया है, परंतु उनमें से एक भी आदेश/डिक्री/जमाबंदी की प्रति इस न्यायालय में अपील संग प्रस्तुत नहीं की है तथा न ही दौराने बहस, अपने कथनों के समर्थन में ऐसा कोई दस्तावेज पेश किया है, जिससे यह साबित हो कि दिनांक 21.03.2024/17.12.2024 को अपीलांट्स ख.नं. 1094/3 व 1094/4 के रिकॉर्डेड खातेदार थे। मात्र अपील मीमों में विभिन्न न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों की तिथियों का उल्लेख करने मात्र से ही, अपीलांट्स के अभिवचनों को सही नहीं माना जा सकता। समर्पण प्रार्थना पत्र के साथ जो जमाबंदिया पेश है, उसमें भी किसी प्रकार का स्थगन आदेश का अंकन, दिनांक 14.03.2024 को नहीं है। इसके अतिरिक्त, उक्त खाता नंबर 193 व 194 की जमाबंदी में नामांतरकरण सं. 377 दिनांक 15.08.2023 बेचान का इन्द्राज किया गया है। दिनांक 27.01.2024 को नामांतरकरण सं. 389 विरासत तथा नामांतरकरण सं. 398 दिनांक 06.03.2024 से हक त्याग का इन्द्राज है। इस प्रकार अपीलांट्स के पक्ष में पारित कोई निर्णय पत्रावली पर नहीं है।

(c)आक्षेपित आदेश दिनांक 21.03.2024 से ख.नं. 1094/4 व 1093/3 में से भूमि सार्वजनिक प्रयोजनार्थ रास्ता हेतु राज्य सरकार के हक में समर्पित की गई है तथा समर्पित की गई भूमि राज्य सरकार में निहित हो चुकी है। राज्य सरकार, अपनी इच्छानुसार समर्पित भूमि का उपयोग/उपभोग करने के लिए स्वतंत्र है। खातेदार टिनेंट को विशेष प्रयोजनार्थ भूमि का समर्पण करने का कोई अधिकार नहीं है, उक्त

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

विधिक स्थिति के बावजूद भी अपीलांट्स ने राज्य सरकार को आवश्यक पक्षकार के रूप में इस अपील में संयोजित नहीं किया है। राज्य सरकार के पक्ष को सुने बिना, इस अपील का एकतरफा निस्तारण किया जाना विधि सम्मत नहीं है। अतएव इसी आधार पर यह अपील खारिज करने योग्य है। अपीलांट्स ने ग्राम पंचायत शेरगढ को किस लिए पक्षकार बनाया है।

(d)अपीलांट्स का यह भी कथन है कि आक्षेपित समर्पण वाद के विचाराधीन रहते हुए किया गया है, जो कि विधि प्रावधानों के विपरीत है। अपीलांट्स का उक्त कथन आंशिक रूप से सही है, परंतु अपीलांट्स की ओर से किसी भी प्रकार का अभिलेख पेश ही नहीं किया है, जिससे यह साबित हो कि Lis Pendens के सिद्धांत का उल्लंघन किस प्रकार हुआ है। विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि सक्षम न्यायालय में वाद विचारण के दौरान किसी पक्षकार द्वारा किया गया स्थायी संपति का हस्तांतरण, वाद के अंतिम परिणाम पर निर्भर करता है। उभयपक्ष के दोनो विद्वान अधिवक्ताओं ने बताया है कि प्रकरण में द्वितीय अपील माननीय राजस्व मण्डल में लंबित है। लंबित अपील के अंतिम निर्णय अनुसार राजस्व अभिलेखों में इन्द्राजात किये जाने है। इस दृष्टि से भी इन अपीलों का कोई विधिक औचित्य नहीं है। नामांतरकरणों का इंद्राज सक्षम अधिकारी द्वारा पारित निर्णयों/आदेश/डिक्री की पालना में ही दर्ज होता है। जब तक आधारभूत आदेश को अपास्त नहीं किया जाता, तब तक नामांतरकरणों पर पारित आदेशों को अपास्त नहीं किया जा सकता। इस प्रकार रिकॉर्डेड खातेदार द्वारा किया गया समर्पण, विपरीत रिकॉर्ड के अभाव में निरस्त नहीं किया जा सकता।

12. उपरोक्त तथ्यात्मक एवं अभिलेखीय विवेचन व विश्लेषणानुसार, अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत उक्त दोनों अपीलें सारहीन व बलहीन होने से अस्वीकार योग्य है।

आदेश

13. परिणामतः अपीलांट्स द्वारा तहसीलदार शेरगढ द्वारा पारित आदेश क्रमांक/राजस्व/2024/320-22 दिनांक 21.03.2024 को अपास्त करने हेतु प्रस्तुत अपील सं. 27/2025 को अस्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार, शेरगढ द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.03.2024 की पुष्टि की जाकर उसे यथावत रखा जाता है।

14. चूंकि आधार आदेश दिनांक 21.03.2024 को यथावत रखा गया है, परिणामतः आदेश दिनांक 21.03.2024 की पालना में दर्ज किया गया, ग्राम रामनगर का नामांतरकरण सं. 419 पर पारित आदेश दिनांक 17.12.2024 निरस्त करने हेतु प्रस्तुत अपील सं.

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

26/2025 अस्वीकार की जाती है तथा आदेश दिनांक 17.12.2024 की पुष्टि की जाकर, उसे यथावत रखा जाता है।

15. निर्णय की प्रति के साथ मूल अभिलेख तहसीलदार, शेरगढ को लौटाया जावे।

16. प्रकरण में लंबित अन्य प्रार्थना पत्रों (यदि कोई हो) का एतद्द्वारा निस्तारण किया जाता है।

17. पत्रावली बाद तामिल व तक्मील फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(जवाहर चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम),
जोधपुर।

यह निर्णय आज दिनांक 11.02.2026 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(जवाहर चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम),
जोधपुर।